

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राचार्य, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट

Mail. rpgclalsot@gmail.com

Mob.9414038057


क्रमांक:-लेखा/नीलामी/2024-25/1190-1197

दिनांक :- 13/12/2024

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस महाविद्यालय में अप्रचलित एवं अनुपयोगी सामान की इस महाविद्यालय परिसर में दिनांक 03.01.2025 को सायं 02:00 बजे खुली बोली द्वारा नीलामी की जानी है।


नीलामी की शर्तों का अवलोकन महाविद्यालय कि वेबसाईट <https://hte.rajasthan.gov.in> पर एवं कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

  
प्राचार्य,  
राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
लालसोट (राज.)

क्रमांक:- लेखा/2024-25 / 1190-1197

दिनांक :- 1190-1197

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0 जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में संक्षिप्त स्थान का प्रयोग करते हुये अतिशीघ्र जारी करने का श्रम करावें।
2. श्रीमान् उपकोषाधिकारी उपकोष कार्यालय, लालसोट को भेजकर निवेदन है कि नीलामी में आप द्वारा मनोनीत सदस्य भिनवाने का श्रम करें।
3. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना को महाविद्यालय कि वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. डॉ. पूरण मल मीना/डॉ. हेमन्त कुमार सिंह सह आचार्य/डॉ. मोहन लाल खटीक सहायक आचार्य कार्यालय हाजा।
5. श्री देवेन्द्र सिंह राजावत सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय हाजा।
6. श्री हरकेश कुमार मीना स्टोर कीपर कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

  
प्राचार्य,  
राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
लालसोट (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राचार्य, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट

Mail. rpgclalsot@gmail.com

Mob.9414038057


कमांक:-लेखा/नीलामी/2024-25/ 1198

दिनांक : 13/12/2024

## नीलामी की शर्तें

दिनांक 03.01.2025 को होने वाली नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार हैं-

1. नीलामी में भाग लेने वाले बोली दाता को अमानत राशि के रूप में 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये ) जमा करवाने होंगे।
2. नकारा सामान महाविद्यालय परिसर से ही उठाना होगा।
3. नीलामी की अंतिम बोली जिस व्यक्ति/संस्था के नाम छूटेगी उसको नीलामी राशि की एक चौथाई राशि तत्काल जमा करानी होगी तथा शेष राशि 3 दिवस में जमा करानी होगी।
4. सफल बोली दाता को नीलामी राशि की जी.एस.टी. राशि नियमानुसार जमा करानी होगी।
5. नीलामी के संबंध में अंतिम निर्णय यथा निरस्त/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी/प्राचार्य में निहित होगा।
6. अनुपयोगी सामान का अवलोकन नीलामी/नीलामी दिनांक से पूर्व महाविद्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।



प्राचार्य

राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय  
राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
लालसोट (राजस्थान)